पत्रांक 1486 /

प्रेषक,

किरण कुमारी,
जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना।

सेवा में,

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 13/10/09

विषय :— **सिन्हा मॉडल हाई स्कूल, दरियापुर, शाहपुर, पटना को अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपके पत्रांक .... दिनांक .... के आलोक में सिन्हा मॉडल हाई स्कूल दरियापुर शाहपुर, दानापुर का स्थलीय निरीक्षण किया गया। विभागीय अधिसूचना संख्या 238 के आलोक में स्थिति निम्नवत् पायी गयी——

(1) यह विद्यायल दीनदयाल मेमोरियल बेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित है। यह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के तहत निबंधित है। निबंध संख्या– 554–28.09.2000 है। संस्था के सदस्यों का नाम, पता की सूची संलग्न है। निरीक्षण के क्रम में बताया गया कि संस्था के सदस्य का एक दूसरे से कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है।

(2) विद्यालय प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध कराये गये शपथ पत्र के अनुसार विद्यालय किसी अन्य विद्यालय किसी अन्य निबंधित सोसाइटी के फ्रेंचाइजी के रूप में स्थापित नहीं होगा, न ही किसी अन्य सोसाइटी, ट्रस्ट, संस्था के ब्रांड नाम का प्रयोग करेगा।

(3) विद्यालय की दो एकड़ भूमि है जिस पर विद्यालय का भवन निर्मित है।

- विद्यालय भवन में 20 कमरें है, जिनके आकार सी0 बी0 एस0 ई0 मापदंड के अनुरूप है।
- विद्यालय में प्रयोगशाला, पुस्तकालय कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष भी उपलब्ध है।
- विद्यालय में कक्षा 1 से VIII तक के वर्ग का संचालन होता है। छात्र संख्या –412 है।

(4) विद्यालय में 16 शिक्षक कार्यरत है। शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला गया था तथा चयन की प्रक्रिया कमिटी के द्वारा किया गया था। चयन की प्रक्रिया संबंधी अभिलेख दिखलाये गये, जो संलग्न है।

(5) विद्यालय में हिन्दी शिक्षण कराया जाता है।

(6) विद्यालय में छात्रों द्वारा लिया जाने वाला शुल्क के संबंध में डिमांड बिल एवं प्रोस्पेक्टस द्वारा तथा सूचना पट पर प्रकाशन द्वारा सूचना दी जाती है। विद्यालय के आय–व्यय का प्रतिवर्ष अंकेक्षण कराया जाता है, विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया अंकेक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।

(7) विद्यालय में वंचित वर्ग या 60000 (साठ हजार) से कम वार्षिक आय वाले छात्रों के शुल्क में रियायत दी जाती है। छात्रों की सूची उपलब्ध करायी गयी।

(8) विद्यालय में 3–4 किलोमीटर की परिधि वाले छात्रों का नामांकन लिया जाता है।

(9) विद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया में लगभग उन सभी छात्रों का नामांकन हो जाता है जो नामांकन हेतु आवेदन करते है।

(10) विद्यालय प्रबंधन द्वारा बताया गया कि रजिस्ट्रेशन हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

वर्णित उक्त परिस्थितियों में विद्यालय का संचालन किया जा रहा है, विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया जा सकता है।

विश्वासभाजन,
13/10/09
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
पटना।